HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15686/2025

Bhupendra S/o Sh Devi Lal, Aged About 31 Years, Resident Of Khodip, Police Station Nikumbh, District Chittorgarh. (At Present Lodged In Distt. Jail, Pratapgarh)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhawani Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

12/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– जलोदा जागीर जिला– प्रतापगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 32/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को पूछताछ नोट के आधार पर प्रकरण में सम्बद्ध किया गया है। प्रकरण में इस प्रकार के कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्त देवीदास के साथ मिलकर वाहन पिकअप में अवैध रूप से डोडाचूरा का परिवहन किया हो। प्रकरण में अनुसंधान के उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.01.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त देवीदास को मौके पर पिकअप वाहन के साथ

पकड़ा था और पिकअप में वाणिज्यिक मात्रा में डोडापोस्त बरामद हुआ है और सहअभियुक्त देवीदास द्वारा तत्समय प्रार्थी/अभियुक्त भूपेन्द्र का नाम डोडचूरा परिवहन करने में बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व में पांच प्रकरण पंजीबद्ध है जिनमें एक प्रकरण एन.डी.पी.एस. एक्ट में अन्तर्गत है। प्रार्थी/अभियुक्त एक अभ्यस्त अपराधी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में सहअभियुक्त देवीदास के वाहन से उक्त वाणिज्यिक मात्रा में डोडापोस्त बरामद होना दर्शित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्त के मध्य कोई सारभूत तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर डोडापोस्त की तस्करी में सम्मिलित रहा हो। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **भूपेन्द्र पुत्र देवीलाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता

है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

68-Yogeshwar Sharma/-